भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2005
बुधवार, 10 जुलाई, 2019/19 आषाढ़, 1941 (शक)

47 वर्षों में बेरोजगारी की उच्चतम दर

2005. श्री विवेक के॰ तन्खाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में बेरोजगारी की दर 1972 के बाद से सबसे ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण सरकार द्वारा उच्च मूल्य की मुद्राओं को समाप्त करने का अचानक किया गया निर्णय, जीसटी की पूरी तैयारी न होना तथा उचित कार्यान्वयन की कमी को माना जा सकता है; और

(ग) सरकार बेरोजगारी की इस खतरनाक स्थिति को ठीक करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 1972 से देश में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी की दर नीचे दी गई हैः

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के दौरों में बेरोजगारी की दरें (% में)				
सर्वेक्षण वर्ष	*ग्रामीण*		*शहरी*	
	पुरूष	*महिला*	*पुरूष*	*महिला*
2017-18* (पीएलएफएस)	**5.8**	**3.8**	**7.1**	**10.8**
2011-12 (एनएसएस 68वां दौर)	**1.7**	**1.7**	**3.0**	**5.2**
2009-10 (एनएसएस 66वां दौर)	**1.6**	**1.6**	**2.8**	**5.7**
2004-05 (एनएसएस 61वां दौर)	**1.6**	**1.8**	**3.8**	**6.9**
1999-00 (एनएसएस 55वां दौर)	**1.7**	**1.0**	**4.5**	**5.7**
1993-94 (एनएसएस 50वां दौर)	**1.4**	**0.9**	**4.1**	**6.1**
1987-88 (एनएसएस 43वां दौर)	**1.8**	**2.4**	**5.2**	**6.2**
1983 (एनएसएस 38वां दौर)	**1.4**	**0.7**	**5.1**	**4.9**
1977-78 (एनएसएस 32वां दौर)	**1.3**	**2.0**	**5.4**	**12.4**
1972-73 (एनएसएस 27वां दौर)	**1.2**	**0.5**	**4.8**	**6.0**

(टिप्पणीः *तुलना हेतु, एनएसएस सर्वेक्षणों के पूर्व दौरों के साथ पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन को तैयार किया गया है)

(ख एवं ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****